

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 135/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/198

दायर दिनांक :- 17.08.2022

निर्णय दिनांक :- 22.12.2024

1. कंवरलाल पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा, राणेरी तह. बाप जिला फलोदी
2. मांगीलाल पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा, राणेरी तह. बाप जिला फलोदी
3. राजूराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा, राणेरी तह. बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. कुनणी पुत्री फूसाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. झमुदेवी पुत्री फूसाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. भंवरलाल पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. भागीस्थराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. समदी पुत्री फूसाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. शाखा प्रबन्धक जो. स. भू. वि. बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी
7. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी राजस्थान

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सॉलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम रामपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 916 रकबा 28.5708 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम रामपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 916 रकबा 28.5708 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 916 रकबा 28.5708 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	कंवरलाल पुत्र रूगनाथराम 1/3 हि., मांगीलाल पुत्र रूगनाथराम 1/3 रहन एक्सिस बैंक शाखा फलोदी, राजुराम पुत्र रूगनाथराम 1/3 सर्व जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	रामपुरा	916	3.2375 हैक्टेयर	बी-3
2	भंवरलाल पुत्र फूसाराम 1/2 हि., भागीरथराम पुत्र फूसाराम 1/2 जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	रामपुरा	916	25.3333 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



22.12.24
(सुखाराम पिण्डेल आर ए एफ)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्दादाई

(आदेश 21 नियम 8, 7 जाखा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

- कंवरलाल पुत्र रुगनाथराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तह. बाप जिला फलोदी
- मांगीलाल पुत्र रुगनाथराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तह. बाप जिला फलोदी
- राजूराम पुत्र रुगनाथराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तह. बाप जिला फलोदी

-वादीगण

बनाम

- कुनणी पुत्री फूसाराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तहसील बाप जिला फलोदी
- झमुदेवी पुत्री फूसाराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तहसील बाप जिला फलोदी
- भंवरलाल पुत्र फूसाराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तहसील बाप जिला फलोदी
- भागीरथराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तहसील बाप जिला फलोदी
- समदी पुत्री फूसाराम जाति विश्नोंई निवासी रामपुरा, राणेशी तहसील बाप जिला फलोदी
- शाखा प्रबन्धक जो. स. भू. वि. बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी
- तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी राजस्थान

-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 135/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार क्षेत्र राणेशी तहसील बाप में खसरा नम्बर 918 रकबा 28.5708 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	कंवरलाल पुत्र रुगनाथराम 1/3 हि., मांगीलाल पुत्र रुगनाथराम 1/3 रहन एक्सिस बैंक शाखा फलोदी, राजुराम पुत्र रुगनाथराम 1/3 सर्व जाति विश्नोंई सा. देह खातेदार	रामपुरा	918	3.2375 हैक्टेयर	बी-3
2	भंवरलाल पुत्र फूसाराम 1/2 हि., भागीरथराम पुत्र फूसाराम 1/2 जाति विश्नोंई सा. देह खातेदार	रामपुरा	918	25.3333 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे। बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के अजि तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रुपया	पैस	मुदायला	रुपया	पैस
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का बाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।